फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नाथीबाई — **विपक्षी : श्री देवा उर्फ देवजी**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 154/17**

जीसीएमएस : 2017/00063

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 38 पर दर्ज आराजी नम्बर 1053, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1070, 1089, 1818, 3007, 3037 किता 12 कुल रकबा 21 बीघा, खाता संख्या 39 पर दर्ज आराजी नम्बर 1651 रकबा 2 बीघा एवं खाता संख्या 272 पर दर्ज आराजी नम्बर 1062, 1065, 1637, 1811 किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि होना बताकर अपने भाई देवा उर्फ देवजी विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी नकल सम्वत् 2032–35 से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पिता सोला के नाम दर्ज थी जो विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीया द्वारा स्वयं को सोला की वारिस होना बताया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण, बेचान आदि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:52 IST
Reason: SelfAttested

कर देता है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीया को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। प्रकरण में दिनांक 18.10.2017 सें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 के खाता संख्या 38 पर दर्ज आराजी नम्बर 1053, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1070, 1089, 1818, 3007, 3037 किता 12 कुल रकबा 21 बीघा, खाता संख्या 39 पर दर्ज आराजी नम्बर 1651 रकबा 2 बीघा एवं खाता संख्या 272 पर दर्ज आराजी नम्बर 1062, 1065, 1637, 1811 किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विक्रय एवं हस्तान्तरण नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:52 IST
Reason: SelfAttested